462004 462016


# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

*दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315*

***E-mail : pccfwl@mp.gov.in***


---

क्रमांक / व.प्रा. / माचि. / GEN.–15. / 56 / 6510 भोपाल, दिनांक 25-9-2017

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. टूरिज्म बोर्ड,
पर्यटन भवन, भद्भदा रोड, भोपाल

विषयः– पचमढ़ी स्थित चौरागढ़ मंदिर तक रोप वे स्थापित किये जाने विषयक।
संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / 968 / एमपीटीबी / रोपवे / 2017 दिनांक 05.09.2017

—0—

विषयांतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित चौरागढ़ एवं महादेव मंदिर धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर रोपवे सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मेसर्स दामोदर रोपवे एवं इन्फ्रा लिमिटेड को सर्वेक्षण की अनुमति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश को सम्बोधित संदर्भित पत्र, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक 6688 दिनांक 08.09.2017 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी डिविजन), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ.न.–6–133 / 2014 (पार्ट) दिनांक 26.09.2014 से प्राप्त निर्देशों के तहत मेसर्स दामोदर रोपवे एवं इन्फ्रा लिमिटेड को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक विषयांकित क्षेत्र के सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. सर्वेक्षण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जायेगा।
2. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र अथवा वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार के वृक्षों की कटाई या झाड़ी की सफाई नहीं की जावेगी।
3. सर्वेक्षण कार्य में संलग्न अधिकारी / कर्मचारी एवं वाहनों की सूची क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को प्रस्तुत की जायेगी।
4. सर्वेक्षण कार्य के दौरान वन्यप्राणियों को वाहनों से खदेड़ने की चेष्टा नहीं की जावेगी तथा वन क्षेत्र में वाहन की गतिसीमा 20 कि.मी. प्रति घण्टा से अधिक नहीं होगी।
5. सर्वेक्षण कार्य के दौरान संरक्षित क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का उत्खनन करना / वन भूमि को तोड़ना / वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास को नुकसान पहुंचाना / वनो को नुकसान पहुंचाना / आग जलाना प्रतिबंधित होगा।
6. संरक्षित क्षेत्र के भीतर सर्वेक्षण दल द्वारा कैम्प अथवा श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
7. सर्वेक्षण कार्य के दौरान सर्वेक्षण दल के सदस्यों की वन्यप्राणियों से सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी स्वयं की होगी।
8. सर्वेक्षण के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का अधिकृत स्थानीय कर्मचारी सर्वेक्षण दल के साथ रहेगा।

9. सर्वेक्षण अवधि में संबंधित वनाधिकारियों द्वारा वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के संबंध में सुझाओं का सर्वेक्षण दल को पालन किया जाना होगा।

10. सर्वेक्षण दल द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972/वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 का पालन किया जायेगा।

उक्त शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण दल द्वारा उक्त शर्तों का पालन न किये जाने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर पालन प्रतिवेदन क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। टाइगर रिजर्व/संरक्षित क्षेत्र होने से विषयांकित स्थल पर रोपवे की स्थापना से संबंधित वास्तविक कार्य किया जाना वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् ही संभव हो सकेगा।

9928
3-10-17

J. Agrwl 25/9/17

(जितेन्द्र अग्रवाल)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

क्रमांक/व.प्रा./माचि./GEN.-15./56/ 6511

भोपाल, दिनांक 25-9-2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक 6688 दिनांक 08.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, म.प्र.।
4. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सर्वेक्षण दल के सदस्यों एवं उनके सहायकों को निर्धारित सर्वेक्षण अवधि के लिए फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी करेंगे तथा सर्वेक्षण कार्य समाप्ति उपरांत तदानुसार की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेगें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

J. Agrwl 25/9/17

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.